न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 41/2024
GCMS NO. : 2024/0082

–: प्रार्थी :–

1. सुरजकंवर पत्नी राजुसिंह राजपुरोहित निवासी– बलाड़ा तहसील– जैतारया जिला–ब्यावर
2. करिश्मा दमामी पुत्री कैलाशचन्द
3. कैलाश चन्द मुन्दड़ा पुत्र रामविलास मुन्दड़ा
4. मुकुल मुन्दड़ा पुत्र कैलाशचन्द मुन्दड़ा
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामविलास मुन्दड़ा

जतिगण–महेश्वरी, निवासीगण– बलाड़ा, तहसील– जैतारण जिला–ब्यावर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 23/02/2024

उपस्थित:– 1. श्री शाकिर हुसैन, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार, सरकार राज.।

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक:– 27/06/2024

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा पटवार हल्का बलाड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त तथा हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/ मीन 8 रकबा 1.3031 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 04 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/7 रकबा 1.3031 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 05 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषिभूमि खसरा नम्बर 1050/6 रकबा 4.3706 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के उपरोक्त अनुसार प्रार्थीगण ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी संख्या 01 स[illegible] के हक हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी [illegible] के स्थान पर खसरा नम्बर 1050 इन्द्राज है। नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073 से 2076 इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। पूर्व में मूल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 72 बीघा 10 [illegible] भूमि के सम्बन्ध मे तत्कालीन खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 05 सुरेन्द्र कुमार ने मूल खसरा नम्बर के सहकाश्तकार तेजाराम वगैरा के विरुद्ध एक राजस्व वाद बंटवाडा बाबत् माननीय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 36/1995 था जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/1997 को उक्त मूल

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 1050 का तत्कालीन पक्षकारान् व सहखातेदारान् काश्तकारान् के मध्य बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का पारित किया गया जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में म्युटेशन संख्या 1232 रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पारित किया गया और उक्त निर्णय व डिक्री तथा म्युटेशन संख्या 1232 के आधार पर मूल खसरा नम्बर 1050 के तत्कालीन खातेदार काश्तकार मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम जाति दर्जी निवासी बलाड़ा के हक हिस्से व अधिकार में खसरा नम्बर 1050/मीन 8 की भूमि आई और उसी अनुरूप उक्त तीनों खातेदार मोतीलाल वगैरा मौके पर काबिज होकर काश्त करते रहे जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 में भी इन्द्राज किया गया। नकल निर्णय राजस्व वाद संख्या 35/1995 दिनांक 17/03/1997 के अनुसार नामान्तरण भरा गया तथा नामान्तरण के पुश्त पर तत्कालीन खातेदारान् काश्तकारान् के कब्जा काश्त का नक्शा भी बनाया गया एवं उक्त नामान्तरण का जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया व जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 की नकल साथ पेश है। मूल खसरा नमबर 1050 के सम्बन्ध में राजस्व वाद मे पारित माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी की पालना एवं म्युटेशन तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवत 2053 से 2056 मे इन्द्राज होने के पश्चात मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम कौम दर्जी निवासी बलाडा के हक हिस्से एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम होने के पश्चात उक्त खातेदार काश्तकार मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम ने अपने पारिवारिक प्रबन्ध एवं अन्य निजी जायज जरूरत हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर स्वय की खातेदारी की उक्त सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11/12/2003 के आधार पर खरीददार शांतिलाल चौपडा पुत्र श्री उदयराज जी चौपडा जाति ओसवाल निवासी जोधपुर को हस्तान्तरण कर दी और मौके पर उक्त खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा का बंटवाडा नामान्तरण संख्या 1232 की पुश्त पर माफिक तरमीम नक्शा एव आधिपत्य अनुसार कब्ज़ा सुपुर्द किया तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार से उक्त खरीददारान् के नाम नामान्तरणकरण संख्या 1537 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जो जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में भी स्पष्ट रूप से इन्द्राज है। नकल रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 11/12/2003 व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा के खातेदार काश्तकार शातिलाल चौपडा पुत्र श्री उदयराज जी जाति ओसवाल ने अपने पारिवारिक प्रबन्ध एवं अन्य जायज जरुरत हेतु रुपयो की आवश्यकता होने से अपने हक हिस्से व कब्ज़ा काश्त की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को जरिये पजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनाक 05/07/2013 को प्रार्थि[illegible] हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया और उक्त रजिस्टर्ड बेचा[illegible]ार से प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे म्युटेशन संख्य[illegible] खातेदारी इन्द्राज किया गया। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर व रकबा की भू[illegible]मात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण ही है और मौके पर काबिज होकर [illegible]र उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है नकल पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनाक 05/07/2013 पेश है। मूल खसरा नमबर 1050 का विधिवत् बंटवाडा होने के पश्चात ततकलीन खातेदार काश्तकार मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम के हक हिस्से व अधिकार में खसरा नम्बर 1050/मील 8 भूमि आई थी और इसी भूमि को इन तीनों ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर नैनारा(

नैनाराण, जिला-बारां (राज.)

शांतिलाल चौपडा पुत्र उदयराज जी को जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के हस्तान्तरण की और जिसके आधार पर उक्त शांतिलाल चौपडा उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार रहा और उसने प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के हस्तान्तरण की परन्तु संवत 2061 से 2064 की चौसाला जमाबन्दी बनाते समय ततकालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा मानवीय त्रुटि एवं सदभाविक भूल खसरा नम्बर 1050/मीन 8 के स्थान पर खसरा नम्बर 1050 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे इन्द्राज कर राजस्व नक्शे मे भी गलत तरमीम कर दी गई जो कि एक कानूनन रोंग एन्दी तथा लिपिकीय त्रुटि है जो बाद की चौसाला जमाबन्दीयो मे भी उक्त रोंग एन्ट्री व लिपिकीय त्रुटि का इन्द्राज आज भी चला आ रहा है। प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले 08/02/2024 को प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 है परन्तु चौसाला जमाबन्दी बनाते समय रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा लिपिकीय त्रुटि एवं सदभाविक तथा मानवीय भूलवश राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 1050/मीन 8 के स्थान पर खसरा नम्बर 1050 का इन्द्राज कर दिया गया जो एक रोंग एन्ट्री है जिसे दुरुस्त करवाने बाबत् दिनाक 08/02/2024 को अप्रार्थी को प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड स्वय द्वारा दुरुस्त करने से इन्कार कर न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करने का कहा इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करने का प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 मे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त उक्त कृषि भूमि के चौसाला जमाबन्दी मे हल्का पटवारी द्वारा तैयार करते वक्त सदभावनापूर्वक लेखकिय भुल से खसरा नम्बर 1050/मीन 8 के स्थान पर खसरा नम्बर 1050 इन्द्राज हो गया यह लेखकिय भूल व लिपिकीय त्रुटि जो जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में की गई थी जिसका रिपीटेशन बाद की हर चौसाला जमाबन्दी मे होता रहा है जो वर्तमान जमाबन्दी मे यथावत् रोंग इन्द्राज है इसलिए ऐसी सदभावना पूर्वक लेखकिय भूल एवं लिपिकीय त्रुटि का सुधार न्याय हित मे किया जाना अति आवश्यक है। क्योकि अगर ऐसा गलत इन्द्राज यथावत् चालु रहेगा तो भविष्य मे और ज्यादा पेचीदगिया पैदा होगी तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारो पर बुरा असर पड़ेगा एवं कुठाराघात होगा और ऐसी सदभावना पूर्वक लेखकिय भुल एवं लिपिकीय त्रुटि एवं गलत इन्द्राज की जानकारी जब भी खातेदार को होती है तो कानूनन वह धारा 136 राज॰ भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरुस्त करवाने का अधिकारी होता है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज एव सदभाविक भूल एव लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करवाने यह इन्द्राज दुरुस्त का प्रार्थनापत्र [illegible] सेवा मे प्रार्थीगण की और से पेश है। उपरोक्त अनुसार मालिक राजस्व [illegible] की पालना अनुसार व म्युटेशन सख्या 1232 तथा उक्त [illegible] पर उल्लेखि[illegible] नक्शे अनुसार प्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी एवं हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 सडक के चिपते ही आई हुई है परन्तु रेवेन्यु एजेन्सी [illegible] सदभाविक लेखकिय भूल एवं मानवीय त्रुटि के तहत प्रार्थीगण संख्या 1 की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 1050 गलत इन्द्राज किया गया के साथ साथ राजस्व नक्शे मे भी प्रार्थीगण सख्या 1 जिस अनुरूप मौके पर काबिज है उस अनुरूप राजस्व नक्शे मे तरमीम नही कर प्रार्थीगण सख्या 1 की उक्त भूमि को राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण (

संख्या 2 से लगायत 4 की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/7 के राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया गया। मौके पर प्रार्थीगण जिस अनुरूप काबिज है एवं पूर्व में पारित बंटवाडा की डिकी की पालना में नामान्तरण संख्या 1232 व उसकी पुश्त पर उल्लेखित नजरी नक्शा अनुसार ही पश्चातवर्ती स्तर पर भी तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे मे तरमीम करना चाहिये था परन्तु तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी ने पश्चातवर्ती जमाबन्दी व राजस्व नक्शा तैयार करते समय सदभाविक लेखकीय भूल एवं मानवीय त्रुटि वश इन्द्राज कर राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम किये गये। जिनको दुरुस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी होने से प्रार्थीगण की भूमि का नामान्तरण संख्या 1232 की पुश्त पर उल्लेखित नक्शे अनुसार एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् व रकबा की कृषि भूमियो का नापचौप कर पत्थरगड्डी कर सीमाकन कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर तरमीम शुद्धि कर राजस्व नक्शे मे भी इन्द्राज दुरुस्ती बाबत् यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण माफिक बटवाडा की डिकी एवं नामान्तरण सख्या 1232 व उसकी पुश्त पर उल्लेखित नजरी नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज है तथा उसी अनुसार इस प्रार्थनापत्र के साथ एक नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे प्रार्थीगण सख्या 1 की खातेदारी हक अधिकार एव मौके पर काबिज काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/8 को हल्के पीले रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 से लगायत 4 की खातेदारी हक अधिकार एव काबिज काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/7 को हल्के हरें रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी हक अधिकार एवं काबिज काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/6 को हल्के आसमानी रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुत नक्शा अनुसार ही पूर्व मे पारित निर्णय व डिकी की पालना के तहत राजस्व जमाबन्दी मे म्युटेशन संख्या 1232 और उसकी पुश्त उल्लेखित नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया परन्तु पश्चातवर्ती स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमियों के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां एवे राजस्व नक्शा को ऑनलाईन कम्प्युटीकृत करने के आदेश की पालना में तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा सदभाविक लेखकीय भुल एवं मानवीय त्रुटिवंश प्रार्थीया संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 को राजस्व रेकर्ड जमबान्दी मे खसरा नम्बर 1050 गलत इन्द्राज किया गया तथा राजस्व नक्शा मे भी उपरोक्त अनुसार तरमीम नही कर राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गई जिसको प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे अनुसार और उसमे वर्णित मौका स्थिति अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम दुरुस्त करवाकर राजस्व [illegible] दुरुस्त [illegible] के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर ग[illegible] की [illegible] तरमीम को दुरुस्त करवाने का प्रार्थीगण की और से श्रीमान के समक्ष सादर पे[illegible]

प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण को जरिए सम्मन वास्ते जवाब [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलाड़ा के खसरा नम्बर 1050 रकबा 1.3031 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 01 व खसरा नम्बर 1050/7 रकबा 1.3031 हैक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 4 व खसरा नम्बर 1050/6 रकबा 4.3706 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी कृषि भूमि है। तथा प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050 के स्थान पर पूर्व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण

में खसरा नम्बर 1050/मीन 8 दर्ज था। पूर्व में मूल खसरा नम्बर 1050 रकबा 72 बीघा 10 बिस्वा की भूमि प्रार्थी संख्या 05 सुरेन्द्र कुमार व अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि थी जो कि माननीय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के न्यायालय के राजस्व वाद सं. 35/1995 निर्णय दिनाँक 17/03/1997 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा का रेकर्ड मे ज़रिये नामान्तरकरण संख्या 1232 अमलदरामद किया गया जिसमें तत्कालीन खातेदार मोतीलाल मदनलाल नाथूराम पिता नेनाराम जाति दर्जी, निवासी बलाड़ा के नाम खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 8-01 बीघा दर्ज किया। जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 के अनुसार खसरा नं. 1050/ मीन 8 रकबा 8-01 बीघा भूमि का बैचान होने से जरिये नामान्तरकरण सं. 1537 मोतीलाल मदनलाल नाथूराम पि. नेनाराम जाति दर्जी के स्थान पर डॉ० शान्तीलाल चोपड़ा पुत्र उदयराज कौम ओसवाल निवासी जोधपुर के नाम दर्ज किया। जमाबंदी संवत 2061 से 2064 के बनाते समय ख.सं. 1050/मीन 8 के स्थान पर 1050 दर्ज किया गया। माफिक राजस्व निर्णय डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1232 दर्ज किया गया जिसकी पुश्त पर उल्लेखित नजरी नक्शानुसार प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि जिसका पूर्व में खसरा नम्बर 1050/मीन 8 था जिसको रास्ता के चिपते हुए खसरा नं 1050/7 के पूर्व दिशा में बताया गया। प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि 1050, 1050/7 व 1050/6 की तरमीम प्रस्तावित बंटवाड़ा डिक्री व नामान्तरकरण संख्या 1232 की पुश्त पर उल्लेखित नजरी नक्शानुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। नामान्तरकरण संख्या 1232 की पुश्त पर उल्लेखित नजरी नक्शा में दर्शायी गई तरमीम के अनुसार खसरा नं 1050/मीन 8 नया खसरा नं 1050, 1050/7, 1050/6 की तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128,131व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज० में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त तथा हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/ मीन 8 रकबा 1.3031 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 04 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/7 रकबा 1.3031 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/6 रकबा 4.3706 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की है।
2. राजस्व वाद संख्या 35/1995 दिनांक 17/03/1997 के अनुसार नामान्तरण संख्या 1232 भरा गया [illegible] तत्कालीन खातेदारान् काश्तकारान् के कब्जा काश्त की नजरी में [illegible] गया एवं उक्त नामान्तरण का जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया।
3. मूल खसरा नम्बर 1050 के सम्बन्ध में राजस्व वाद में पारित माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी की पालना एवं म्युटेशन तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 मे इन्द्राज होने के पश्चात मोतीलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
जैतारण

मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम कौम दर्जी निवासी बलाडा के हक हिस्से एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी दोयम होने के पश्चात उक्त खातेदार काश्तकार मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिसरान नैनाराम ने उक्त सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11/12/2003 के आधार पर खरीददार शांतिलाल चौपडा पुत्र श्री उदयराज जी चौपडा जाति ओसवाल निवासी जोधपुर को हस्तान्तरण कर दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1537 भरा गया।

4. खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा के खातेदार काश्तकार शांतिलाल चौपडा पुत्र श्री उदयराज जी जाति ओसवाल ने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 05/07/2013 को प्रार्थिया सुरजकंवर को हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा रजिस्टर्ड बेचान के आधार से प्रार्थिया के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में म्युटेशन संख्या 2729 के आधार पर खातेदारी इन्द्राज दर्ज है।

5. प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र में कथन किया कि प्रार्थी संख्या 05 की खातेदारी हक अधिकार एवं काबिज काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/6 को नक्शा अनुसार ही पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री की पालना के तहत राजस्व जमाबन्दी मे म्युटेशन संख्या 1232 और उसकी पुश्त उल्लेख़ित नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया परन्तु पश्चातवर्ती स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमियों के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां एवं राजस्व नक्शा को ऑनलाईन कम्प्युटीकृत करने के आदेश की पालना में तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा सदभाविक लेखकीय भूल एवं मानवीय त्रुटिवंश प्रार्थीया संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050/मीन 8 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1050 गलत इन्द्राज किया गया एवं खसरा नक्शा में गलत तरमीम किया गया है।

6. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय नक्शा अनुसार उसमें वर्णित मौका स्थिति एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम शुद्धीकरण करवाकर राजस्व नक्शों को दुरुस्त करवाने की इस्तदुआं की है।

7. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1050 के स्थान पर पूर्व में खसरा नम्बर 1050/मीन 8 दर्ज थी। पूर्व में मूल खसरा नम्बर 1050 रकबा 72 बीघा 10 बिस्वा की भूमि प्रार्थी संख्या 05 सुरेन्द्र कुमार व अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि थी। [illegible] न्यायालय हाजा के राजस्व वाद सं. 35/1995 निर्णय दिनांक 17/0[illegible]/1995 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा [illegible] रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1232 अमल दरामद किया गया जिसमें तत्कालीन खातेदार मोतीलाल, मदनलाल, नाथूराम पिता नेनाराम जाति दर्जी, निवासी [illegible]लाड़ा के नाम खसरा नम्बर 1050/मीन 8 रकबा 8-01 बीघा दर्ज किया। जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 के अनुसार खसरा नं. 1050/ मीन 8 रकबा 8-01 बीघा भूमि का बैचान होने से जरिये नामान्तरकरण सं. 1537 मोतीलाल मदनलाल नाथूराम पि. नेनाराम जाति दर्जी के स्थान पर डॉ० शान्तीलाल चोपड़ा पुत्र उदयराज कौम ओसवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक
कलक्टर जैतारण

निवासी जोधपुर के नाम दर्ज किया। पूर्व में दर्ज खसरा नम्बर 1050/ मीन 8 रकबा 8-01 बीघा अर्थात् वर्तमान खसरा नं 1050 रकबा 1.3031 हैक्टेयर भूमि का बैचान होने से जरिये नामान्तरकरण सं. 2729 डॉ० शान्तीलाल चौपडा पुत्र उदयराज जाति ओसवाल के स्थान पर सुरजकंवर पत्नि राजूसिह कौम पुरोहित सा.देहु खातेदार के नाम दर्ज किया। जमाबंदी संवत 2061 से 2064 के बनाते समय ख.सं. 1050/मीन 8 के स्थान पर 1050 दर्ज किया गया।

8. प्राथीगण की वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा डिक्री दिनांक 17.03.1997 व नामान्तरकरण संख्या 1232 के पश्च भाग पर उल्लेखित नज़री नक्शानुसार तरमीम किया जाना था परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त नजरी नक्शानुसार प्रार्थीगण की भूमि तरमीम नहीं है जिससे न्यायालय के आदेश एवं डिक्री दिनांक 17.03.1997 की पालना अनुसार वर्तमान में जमीन तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण को असीम क्षति कारित हो रही है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभाँति साबित होने से प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का न्यायालय के निर्णय दिनाँक 17.03.1997 एवं उक्त निर्णय की पालना में पारित नामान्तरकरण के पश्च भाग पर अंकित नज़री नक्शा अनुसार खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है एवं उक्त संशोधन अनुसार जमाबंदी के भू-नक्शे में संशोधन किया जाना उचित समझते है। रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अप्रार्थी के जवाब प्रा.पत्र अनुसार रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा खसरा नम्बर 1050/मीन8 के लिए नए नम्बर 1050 बनाए गए। बंटवाडे से पूर्व मूल खसरा नम्बर 1050 के लिए बंटवाडा अनुसार नए नम्बर के खसरे बनाए गए इसलिए बनाए गए नए खसरों में से 1050/मीन8 को पुनः 1050 खसरा नम्बर आवंटित किये जाने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति कारित होने के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए है। साथ ही सीमाज्ञान की शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 964/10 भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354 के अर्न्तगत भू-नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षित राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी भलीभांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा, पटवार हल्का बलाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में प्रार्थीगण एवं अन्य सह-खातेदारान की भूमि खसरा नम्बर 1050 जिसका न्यायालय के आदेश एवं डिक्री दिनांक 17.03.1997 के द्वारा बंटवाड़ा किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में किये गए नामान्तरकरण के पश्च भाग पर अंकित नज़री नक्शा अनुसार बनाए गए नये खसरा नम्बरान का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा- 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए मुताबिक भू.अ.निरीक्षक मय तहसीलदार जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

/24/2820 दिनांक 20.05.2024 जो निर्णय का एक भाग रहेगा के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी का मौका स्थिति एवं मौके पर काबिज अनुसार तरमीम शुद्धीकरण करवाकर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करते हुए राजस्व नक्शों को दुरूस्त किये जानें हेतु पटवारी पटवार हल्का बलाड़ा एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत बलाड़ा को निर्देश दिये जाते है। साथ ही शुद्धि उपरांत भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू-नक्शा में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनाँक 17.03.1997 की पालना में किये गए नामान्तरकरण के पश्च भाग पर अंकित नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर

निर्णय आज दिनांक 27/06/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:26:34 IST
Reason: SelfAttested